न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 173/2023 — दायर दिनाक–22 12 2022

1. जगदीश प्रसाद
2. अमरचंद पुत्रान् रामेश्वरलाल जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी टौंकछिलरी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल जाति महाजन निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–23.12.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003 रकबा क्रमशः 3.11, 0.01, 0.29 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 स्थित है जिसे वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

उपरोक्त खसरा नम्बर के पुराने खसरा नम्बर 353, 361, 360 व 362 थे जिसको वादीगण के पिता रामेश्वरलाल ने प्रतिवादी नं0 1 के पिता हीरालाल से गिफट में प्राप्त की थी। वादीगण का पिता प्रतिवादीगण के पिता के यहां नौकर का काम करता था। जिससे खुश होकर प्रतिवादी नं0 1 के पिता ने उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को गिफट में दे दी थी जिसकी लिखापढी पुरानी बही में लिखावट की गई है। पिछले 70 वर्षो से उक्त भूमि पर वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। वर्तमान में वादीगण के पिता व प्रतिवादी नं0 1 के पिता का देहांत हो गया है जिसके कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के पिता के नाम दर्ज नही हो सका व प्रतिवादी नं0 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003 रकबा क्रमशः 3.11, 0.01, 0.29 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु अमरचंद पुत्र रामेश्वरलाल तथा जगदीश पुत्र रामेश्वरलाल के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने [illegible] के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 इकरारनामा प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 विवादित भूमि मे वादीग[illegible] का छायाचित्र प्रदर्श 4 विधुत कनेक्शन बिल प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78 आदि [illegible]ज प[illegible]ये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील [illegible] को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली [illegible] एवं उपलब्ध दस्तावे[illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो[illegible] 2078 के अनु[illegible] वाके राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद [illegible] 1002, 1003 रकबा क्रमशः [illegible] 11, 0.01, 0.29 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 भूमि स्थित हो[illegible]प्रमाणित है। प्रदर्श–1 इकरारना[illegible] बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि मै मांगीलाल पुत्र देवकरण जाति महाजन निवासी भोजनगर मेरी भूमि खात खतुनी नं0 363, 361, 360, 362 कुल 13 बीघा 8 बिश्वा जमीन रामेश्वर बेटा भुगवाना जाति कुम्हार को बेची जिसका रूपया 5500 प्राप्त कर लिया है तथा जमीन का कब्जा रामेश्वर कुम्हार को दे दिया है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में क्रेतागण व विक्रेतागण व उपस्थित गवाहान् के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी कई वर्षो से वादीगण का होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे जहा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का खंडन नही किया है तथा ना किसी तरह का एतराज पेश किया हो एव दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादीगण द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। अतः न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक करेएवं पंजीयन शुल्क वादीगण से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003 रकबा क्रमशः 3.11, 0.01, 0.29 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ कों आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादीगण से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–173 / 2023 **(जगदीश बनाम ओमप्रकाश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.12.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003 रकबा क्रमशः 3.11, 0.01, 0.29 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.12.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested